

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 213] No. 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2013 वैशाख 12, 1935 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2013/VAISAKHA 12, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) .

आदेश

नई दिल्ली, 2 गई, 2013

सा.का.नि. 280(अ).-केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड (4) के अनुसरण में क्रमशः भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 नवम्बर, 1999, और तारीख 29 दिसम्बर, 1999 में सा.का.नि. 782, तारीख 22 नवम्बर, 1999 और सा.का.नि. 832(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1999 को सिवाय ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या करने से लोप की गई चीजों के तुरंत प्रमाव से विखंडित करती है ।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी.।] टी. जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.S.R. 280(E).—In pursuance of clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Orders published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd November, 1999 and the 29th December, 1999 vide G.S.R. 782, dated the 22nd November, 1999 and G.S.R. 832(E), dated the 29th December, 1999, respectively, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP.I] T. JACOB, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. 281(अ).-केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की घारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मारत के राजपत्र, असाधारण, भाग॥, खंड 3, उपखंड (i), में तारीख 25 नवम्बर 2011 को सा.का.नि. 836(अ), तारीख 25 नवम्बर 2011 द्वारा प्रकाशित आदेश को 1 अक्तूबर, 2012 से उत्पादित चीनी के संबंध में तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी.।] टी. जैकब, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the order published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th November, 2011, vide G.S.R. 836(E), dated the 25th November, 2011 in respect of sugar produced from the 1st day of October, 2012, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP.I] T. JACOB, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. 282(अ).-केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण आदेश) 1966 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥,, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 4 जून, 1979 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के सा.का.नि. 345(अ) आव.वस्तु/शर्करा, तारीख 4 जून, 1979 द्वारा प्रकाशित आदेश को, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिन्हें करने का लोग किया गया था, तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी.।] टी. जैकब, संयक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.Ş.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Order published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th June, 1979, vide G.S.R. 345(E) Ess.Com./Sugar, dated the 4th June, 1979 of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP. I] T. JACOB, Jt. Secy.

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART.II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली; शुक्रवार, नवम्बर 25, 2011/अग्रहायण 4, 1933

No. 6381

NEW DELIH, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2011/AGRAHAYANA 4, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 836(अ). केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदृद्वारा यह निदेश देती है कि चीनी का प्रत्येक देशी उत्पादक उत्पादित चीनी का 10 प्रतिशत । अक्तूबर, 2011 से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार को या लेवी चीनी (नियंत्रण) प्रदाय आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार विक्रय करेगा।

[फा. सं. 2-5/2011-एसपीवाई (एसपी-I)] अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2011

GS.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that every domestic producer of suger shall sell ten per cent of sugar produced with effect from the 1st day of October, 2011and till further orders, to the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979.

[F. No. 2-5/2011-SPY (SP-I)]

Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

ADHIR JHA, Director (SDF)

4324 GI/2011

14.1.2000

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

राजपन वितरण एकका

REGD. NO. D. L.-33004/99



The Gazett

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY K. M.

CRB.

सं. 622] No. 6221

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1999/पौष 8, 1921 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1999/PAUSA 8, 1921

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(शर्करा और खाद्य तेल विभाग)

आदेश

े नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

रा॰ वि॰ एकक

आ०व० / चीनीः केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 के अनुसरण में तथा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (शर्करा और खाँद्य तेल विभाग) के आदेश संख्या साठकाठनिठ 782(ई०)/आठवठ/चीनी, दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के क्रम में एतदद्वारा निदेश देती है कि कोई भी चीनी आयातक तब तक आयातित चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा या उसकी सुपूर्वगी नहीं करेगा अथवा सुपूर्वगी के लिए सहमत नहीं होगा अथवा डिस्चार्ज पोर्ट से या आयातकों के भांडागारों से आयातित चीनी नहीं हटाएगा, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निदेश के अधीन और उसका अनुसरण करने के लिए निदेश न दिया जाए।

यह आदेश भारत सरकार भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के भारत में उत्पादित चीनी के संबंध में जारी किए गए आदेश संख्या साठकाठनिठ 345(ई०)/आठवठ/चीनी, दिनांक 4 जून, 1979, जो लागू है, के साथ बरकरार रहेगा।।

[फा. सं. 1-17/98-एस. पी. वाई. (डी-2)]

आरं. एन. दास, संयुक्त सचिव

3792 GH/99

(1)

Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Sugar and Edible Oils)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 1999

G.S.R. 832(E).—

/Ess.Com./Sugar. —In pursuance of Clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in continuation of the Order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution (Department of Sugar & Edible Oils) number GSR 782(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 22nd November, 1999, the Central Government hereby directs that no importer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose of or deliver or agree to deliver imported sugar or remove imported sugar from the port of discharge or from the warehouses of the importers, except under and in accordance with the directions issued in writing by the Central Government.

This order shall continue along with the Order of the Government of India in the
erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Food) number GSR
345(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 4th June, 1979 issued in respect of sugar produced in
India and which is in vogue.

[F. No.1-17/98-SPY. (D-II)]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Asstt. Controller (Admn.) Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India po 375

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] No. 577]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1999/अग्रहायण 1, 1921 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1999/AGRAHAYANA 1, 1921

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (शर्करा और खाद्य तेल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1999

सा.का.नि. 782(ई.)/आ.व./चीनी.-केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदुद्वारा निदेश देती है कि कोई भी चीनी आयातक तब तक आयातित चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा या उसकी सुपूर्दगी नहीं करेगा अथवा सुपुर्दगी के लिए सहमत नहीं होगा अथवा उन गोदामों से आयातित चीनी नहीं हटाएगा जिनमें इसका भंडारण किया गया है, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निदेश के अधीन और उसका अनुसरण करने के लिए निदेश न दिया जाए।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं. 1-17/98-एस.पी.वाई.(डी-2)] आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Sugar and Edible Oils)

ORDER

140 (7.5

New Delhi, the 22nd November, 1999

G.S.R. 782(E)Ess. Com./Sugar.-In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Sugar (control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no importer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose of or deliver or agree to deliver imported sugar or remove imported sugar from the godowns in which it is stored except under and in accordance with the direction that may be issued in writing by the Central Government.

2. This Order shall come into force with immediate effect.

[F. No.1-17/98-SPY(D.II]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Asstt. Controller (Admn.) Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

3421 GI/99

REGISTERED NO. D (D)-72 राक्ट्रा सं ही (की)-72

The Gazette of India B21 Way 5452

असाधाररा EXTRAORDINARY

P: - 1475 भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i) // / // / १९०० क

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई विल्ली, सोमवार, जून 4, 1979/ज्येष्ठ 14, 1901 He 170] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 1979/JYAISTHA 14, 1901 No. 170]

इस भाग में भिन्त पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सबी।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाइय विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1979

आवृश

सा. का. नि. 345 (अ).-आव. बस्तू/शर्करा.-केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 स्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती हैं ीक निर्वात कडाइ प्रक्रिया ख़ारा शर्करा का उत्पादन करने वाला कोई भी उत्पादक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए लिखित निर्देश के अधीन और उनके अनुसार ही शर्करा का विकय वा विकय करने का करार या उसका अन्यथा व्ययन या परिदान या परिदान करने का करार करेगा या ऐसे कारखाने के, जिसमें उसका उत्पादन होता है, बंध पीत्रत गांदामां से शर्करा को हटाएगा, अन्यथा नहीं ।

218 GI/79

Asstt. Controller (Admn.) Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

Teny 1124

19-1

772 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—S 500]

2. यह आदेश 5 जून, 1979 से प्रवृत्त होगा।

[सं. 1-28/29 एस. पी. वाई. (ही 2)] सी. एन. राघवन, संयुक्त सींचव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food) New Delhi, the 4th June, 1979

ORDER

G.S.R. 345(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conterred by clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no producer of sugar by vaccum pan process shall sell or agree to sell or otherwise dispose of or deliver or agree to deliver sugar or remove sugar from the bonded godowns of the factory in which it is produced, except under and in accordance with a direction issued in writing by the Central Government.

2 This Order shall come into force with effect from the 5th June, 1979.

[No. 1-28/79-SPY (D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

Deptt. of Publication Civil Lines, Delhi-54

Asstt. Controller (Admn.)